

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

किसानों के हित में जीएसटी के तहत उर्वरकों पर टैक्स दर को मौजूदा 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने का निर्णय लिया गया

Posted On: 01 JUL 2017 7:55PM by PIB Delhi

केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक और संसदीय मामलों के मंत्री श्री अनंत कुमार ने 30 जून, 2017 को यहां आयोजित जीएसटी परिषद की 18वीं बैठक के नतीजों के बारे में मीडिया को उर्वरक क्षेत्र से जुड़ी जानकारी दी। मंत्री महोदय ने बताया कि उर्वरकों पर जीएसटी दर को मौजूदा 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय मुख्यतः किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। श्री अनंत कुमार ने यह भी बताया कि सरकार ने उद्योग जगत के साथ बैठक की है, तािक इस निर्णय का लाभ किसानों को दिया जा सके।
श्री अनंत कुमार ने बताया कि जीएसटी व्यवस्था के तहत किसानों को 1261 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा। परिषद द्वारा घोषित नई जीएसटी दरों के तहत औसत भारांक अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) घटकर 5909 रुपये प्रति टन (अथवा 295.47 रुपये प्रति 50 किलो बोरी) रह जाएगा, जबकि मौजूदा अखिल भारतीय भारांक औसत मूल्य 5923 रुपये प्रति टन (296.18 रुपये प्रति 50 किलो बोरी) है।
श्री अनंत कुमार ने बताया कि जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद देश भर में 295.47 रुपये प्रति 50 किलो बोरी का एकसमान अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) होगा। केवल उन दो राज्यों में एकसमान अधिकतम खुदरा मूल्य नहीं रहेगा, जहां प्राकृतिक गैस पर अतिरिक्त वैट लगाया जाता है। इसका कारण यह है कि प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया गया है। हालांकि, इन राज्यों में भी अधिकतम खुदरा मूल्य 3 रुपये प्रति 50 किलो बोरी घट जाएगा।

वीके/आरआरएस/डीएस-1952
(Release ID: 1494522) Visitor Counter : 32

f







in